



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 212]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 18, 2019/ज्येष्ठ 28, 1941

No. 212]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 18, 2019/JYAISTHA 28, 1941

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2019

सं. 24-14/2018-(यू.जी. रेगुलेशन).—भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 के खण्ड (झ), (ज) और (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 1986 में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित और विनियम बनाती है, अर्थात्:—

- संक्षिप्त भीर्शक, प्रारंभ एवं प्रयोजन.—(1) यह विनियम "भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2019" कहा जाएगा।
 - वे कार्यालय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
 - ये विनियम उन छात्रों पर लागू होंगे जिन्हें शैक्षिक सत्र (2019-2020) के प्रारंभ से बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.ए.एम.एस.), बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एस.एम.एस.), बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.यू.एम.एस.) में प्रवेश दिया जाएगा।
- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 1986 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है), अनुसूची I में, विनियम 2 में, खंड (घ) में,—
 - उपखंड (iv) में, निम्नलिखित पैरा को प्रविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:—
"बशर्ते कि:—
(क) सरकारी तथा गैर सरकारी मानित विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु अखिल भारतीय कोटा सौ प्रतिशत होगा।
(ख) उन विश्वविद्यालय एवं संस्थानों में, कोटे के रख रखाव हेतु जिसमें पहले से ही 15 प्रतिशत से अधिक अखिल भारतीय कोटा सीटें जारी रहेंगी।
(ग) सरकारी अथवा सरकारी अनुदानित संस्थानों में वार्षिक स्वीकृत प्रवेश क्षमता का 5 प्रतिशत "राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा" की योग्यता सूची के आधार पर, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के प्रावधानानुसार विकलांगता तल चिह्न रखने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा भरा जाएगा।

व्याख्या:—इस खंड के उद्देश्य हेतु, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की अनुसूची में निहित “विनिर्दिष्ट विकलांगता” इन विनियमों के साथ संलग्न परिशिष्ट ‘क’ में विनिर्दिष्ट है तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति में पाठ्यक्रम जारी रखने हेतु विनिर्दिष्ट विकलांगता रखने वाले अभ्यर्थी की पात्रता इन विनियमों के परिशिष्ट ‘ख’ में विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार होगी, तथा यदि अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण किसी विशिष्ट श्रेणी में विकलांगों हेतु आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं तो वे सीटें सम्बंधित श्रेणी के लिए वार्षिक स्वीकृत सीटों में सम्मिलित कर दी जाएंगी।

(ii) उपखंड (अ) हेतु, निम्नलिखित उपखंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(v) (क) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, न्यास, सोसायटी, माइनोरिटी इन्स्टीट्यूशन, कॉरपोरेशन अथवा कम्पनी द्वारा स्थापित संस्थानों को सम्मिलित करते हुए राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में विद्यमान समस्त आयुर्वेद शिक्षा संस्थानों में स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के कोटे हेतु काउंसलिंग के लिए नामित प्राधिकारी सम्बंधित राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र के सम्बंधित नियमों एवं विनियमों के अनुसार सम्बंधित राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्र की सरकार, जैसा भी मामला हो, होगी।

(ख) समस्त मानित विश्वविद्यालयों, सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों की सौ प्रतिशत सीटों हेतु बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम में सभी प्रवेशों के लिए काउंसलिंग केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी द्वारा आयोजित कराई जाएगी।”

3. उक्त विनियमों में, अनुसूची—ii में, विनियम 2 में, खंड (घ) में,—

(i) उपखंड (iv) में, निम्नलिखित पैरा प्रविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:—

“बशर्ते कि:—

(क) सरकारी तथा गैर सरकारी मानित विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु अखिल भारतीय कोटा सौ प्रतिशत होगा।

(ख) उन विश्वविद्यालय एवं संस्थानों में, कोटे के रख रखाव हेतु जिसमें पहले से ही 15 प्रतिशत से अधिक अखिल भारतीय कोटा सीटें जारी रहेंगी।

(ग) सरकारी अथवा सरकारी अनुदानित संस्थानों में वार्षिक स्वीकृत प्रवेश क्षमता का 5 प्रतिशत “राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा” की योग्यता सूची के आधार पर, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के प्रावधानानुसार विकलांगता तल चिन्ह रखने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा भरा जाएगा।

व्याख्या:—इस खंड के उद्देश्य हेतु, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की अनुसूची में निहित “विनिर्दिष्ट विकलांगता” इन विनियमों के साथ संलग्न परिशिष्ट ‘क’ में विनिर्दिष्ट है तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति में पाठ्यक्रम जारी रखने हेतु विनिर्दिष्ट विकलांगता रखने वाले अभ्यर्थी की पात्रता इन विनियमों के परिशिष्ट ‘ख’ में विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार होगी, तथा यदि अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण किसी विशिष्ट श्रेणी में विकलांगों हेतु आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं तो वे सीटें सम्बंधित श्रेणी के लिए वार्षिक स्वीकृत सीटों में सम्मिलित कर दी जाएंगी।

(ii) उपखंड (v) हेतु, निम्नलिखित उपखंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(v) (क) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, न्यास, सोसायटी, माइनोरिटी इन्स्टीट्यूशन, कॉरपोरेशन अथवा कम्पनी द्वारा स्थापित संस्थानों को सम्मिलित करते हुए राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में विद्यमान समस्त सिद्ध शिक्षा संस्थानों में स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के कोटे हेतु काउंसलिंग के लिए नामित प्राधिकारी सम्बंधित राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र के सम्बंधित नियमों एवं विनियमों के अनुसार सम्बंधित राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्र की सरकार, जैसा भी मामला हो, होगी।

(ख) समस्त मानित विश्वविद्यालयों, सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों की सौ प्रतिशत सीटों हेतु बी.एस.एम.एस. पाठ्यक्रम में सभी प्रवेशों के लिए काउंसलिंग केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी द्वारा आयोजित कराई जाएगी।”

4. उक्त विनियमों में, अनुसूची—iii में, विनियम 2 में, खंड (क) में, उपखंड (घ) में —

(i) मद (iv) में, निम्नलिखित पैरा प्रविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:—

“बशर्ते कि:—

(I) सरकारी तथा गैर सरकारी विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु अखिल भारतीय कोटा सौ प्रतिशत होगा।

- (II) उन विश्वविद्यालय एवं संस्थानों में, कोटे के रख रखाव हेतु जिसमें पहले से ही 15 प्रतिशत से अधिक अखिल भारतीय कोटा सीटें जारी रहेंगी।
- (III) सरकारी अथवा सरकारी अनुदानित संस्थानों में वार्षिक स्वीकृत प्रवेश क्षमता का 5 प्रतिशत "राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा" की योग्यता सूची के आधार पर, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के प्रावधानानुसार विकलांगता तल चिह्न रखने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा भरा जाएगा।

व्याख्या:—इस खंड के उद्देश्य हेतु, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की अनुसूची में निहित "विनिर्दिष्ट विकलांगता" इन विनियमों के साथ संलग्न परिशिष्ट 'क' में विनिर्दिष्ट है तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति में पाठ्यक्रम जारी रखने हेतु विनिर्दिष्ट विकलांगता रखने वाले अभ्यर्थी की पात्रता इन विनियमों के परिशिष्ट 'ख' में विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार होगी, तथा यदि अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण किसी विशिष्ट श्रेणी में विकलांगों हेतु आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं तो वे सीटें सम्बंधित श्रेणी के लिए वार्षिक स्वीकृत सीटों में सम्मिलित कर दी जाएंगी।

(ii) मद (v) हेतु, निम्नलिखित मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(v) (क) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, न्यास, सोसायटी, माइनोरिटी इन्स्टीट्यूशन, कॉरपोरेशन अथवा कम्पनी द्वारा स्थापित संस्थानों को सम्मिलित करते हुए राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में विद्यमान समस्त यूनानी शिक्षा संस्थानों में स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के कोटे हेतु काउंसलिंग के लिए नामित प्राधिकारी सम्बंधित राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र के सम्बंधित नियमों एवं विनियमों के अनुसार सम्बंधित राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्र की सरकार, जैसा भी मामला हो, होगी।

(II) समस्त मानित विश्वविद्यालयों, सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों की सौ प्रतिशत सीटों हेतु बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम में सभी प्रवेशों के लिए काउंसलिंग केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी द्वारा आयोजित कराई जाएगी।"

परिशिष्ट "क"

(देखें अनुसूची I, II तथा III एवं विनियम 2)

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 2 के खंड (य ग) में संदर्भित "विनिर्दिष्ट दिव्यांगता" से संबंधित अनुसूची के अनुसार :-

1. शारीरिक दिव्यांगता—

क. गतिक विकलांगता (वात रोग अथवा तंत्रिका तंत्र अथवा दोनों की यातना के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की अपने अथवा वस्तुओं की विशिष्ट गतिविधियों से जुड़े संचलन को कार्यान्वित करने की अक्षमता) निम्न को सम्मिलित करते हुए —

(क) "कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति" से तात्पर्य है व्यक्ति जो कि कुष्ठ रोग से मुक्त हो चुका है परंतु निम्नलिखित से ग्रसित है—

- हाथ और पैरों में संवेदन की क्षति तथा संवेदन की क्षति तथा नेत्रों तथा पलकों में आंशिक पक्षाघात परंतु स्पष्ट विकृति न हो;
- स्पष्ट विकृति तथा आंशिक पक्षाघात परंतु उनके हाथों तथा पैरों में पर्याप्त गतिशीलता हो जिससे उन्हें सामान्य आर्थिक कार्यों में लगाने हेतु सक्षम बनाया जा सके;
- चरम शारीरिक विकृति एवं बड़ी उम्र जो व्यक्ति को किसी लाभदायक व्यवसाय को करने से रोके, तथा अभिव्यक्ति "कुष्ठ रोग से मुक्त" का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

(ख) "प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से तात्पर्य है" गैर प्रगतिशील स्नायुविज्ञान विषयक परिस्थिति का समूह जो कि शारीरिक संचलन तथा मांसपेशीय समन्वय को प्रभावित करता है, मस्तिष्क के एक अथवा अधिक विशिष्ट भागों की क्षति के कारण होता है, प्रायः जन्म के पूर्व, के दौरान अथवा तुरंत बाद होता है;

(ग) "बौनापन" से तात्पर्य है एक चिकित्सीय अथवा अनुवांशिक स्थिति जिसमें एक वयस्क की ऊंचाई 4 फीट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) अथवा इससे कम हो;

(घ) "मांसपेशीय डिस्ट्राफी" से तात्पर्य है अनुवांशिक मांसपेशीय रोग का समूह जो मानव शरीर को चलाने वाली मांसपेशियों को कमजोर करता है तथा एक से अधिक डिस्ट्राफी वाले व्यक्तियों के जीन्स में त्रुटिपूर्ण एवं लुप्त रचना होती है जो कि स्वस्थ मांसपेशीय हेतु उनके के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने से उन्हें रोकती है। इसके लक्षण है प्रोग्रेसिव स्केलेटल मसल्स की कमजोरी, मांसपेशीय प्रोटीन में कमियां, तथा मांसपेशीय सेल एवं टिश्यूज का समाप्त हो जाना;

(ङ) "तेजाब के प्रहार से पीड़ित" से तात्पर्य है तेजाब अथवा उसके समान संक्षारक पदार्थ फेंक कर किये गए आक्रामक हमले के कारण विकृत एक व्यक्ति।

ख. दृष्टि क्षति —

(क) "नेत्रहीनता" से तात्पर्य है एक ऐसी स्थिति जिसमें एक व्यक्ति, सबसे अच्छे सुधार के पश्चात् निम्न में से कोई एक स्थिति रखता हो -

- (i) दृष्टि की पूर्णतः अनुपस्थिति; अथवा
- (ii) सबसे अच्छे सुधार के साथ अच्छे नेत्र में 3/60 से कम अथवा 10/200 (स्नेल्लेन) से कम दृश्य तीक्ष्णता।
- (iii) दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 10 डिग्री से कम के कोण के सामने हो।

(ख) "निम्न दृष्टि" से तात्पर्य है, एक ऐसी स्थिति जिसमें एक व्यक्ति निम्न में से कोई एक स्थिति रखता हो:-

- (i) सबसे अच्छे सुधार के साथ अच्छे नेत्र में 6/18 से अनधिक अथवा 20/60 से 3/60 अथवा 10/200 (स्नेल्लेन) से कम दृश्य तीक्ष्णता।
- (ii) दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 40 डिग्री से 10 डिग्री तक कम के कोण के सामने हो।

ग. श्रवण क्षति-

(क) "बहरा" एक व्यक्ति से तात्पर्य है वह व्यक्ति जिसके दोनो कानों की उच्चारण आवृत्ति श्रवण क्षमता 70डीबी से कम हो।

(ख) "कम सुनाई देना" से तात्पर्य है जिसके दोनो कानों की उच्चारण आवृत्ति श्रवण क्षमता 60 डीबी से 70डीबी कम हो।

घ. "वाक् एवं भाषा विकलांगता" से तात्पर्य है स्वरयंत्रछिद्रीकरण अथवा वाचाघात जो कि वाक् तथा भाषा को प्रभावित करने वाली जैविक अथवा तंत्रिका संबंधित स्थिति जिसके कारण स्थाई विकृत पैदा हो।

2. बौद्धिक विकलांगताएं, दोनों बौद्धिक कार्यप्रणाली की स्थिति जिसमें (तर्क, सीखने, समस्या समाधान करने) और अनुकूल व्यवहार जो प्रत्येक दिन की सीमाओं को शामिल करता है सामाजिक तथा प्रायोगिक कौशल, की चारित्रिक स्थिति व सीमाएं जिसमें शामिल हैं -

(क) "विशिष्ट ज्ञानार्जन विकलांगता" विजातीय परिस्थिति समूह जिसमें बोलने अथवा लिखने में अथवा भाषा प्रसंस्करण की कमी पायी जाती है जिससे भाषा की बोध गम्यता, बोलने, लिखने, वर्तनी अथवा गणतीय गणना तथा सहित ऐसी परिस्थितियां जिसमें अवधारणात्मक विकलांगताएं, वाक् विकार (डिस्लेक्सिया), डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया तथा विकासात्मक मूकरोग शामिल हैं;

(ख) "आत्म विमोह स्पैक्ट्रम विकृति" से तात्पर्य है विकासात्मक तंत्रिका शोथ परिस्थिति से है जो कि

जीवन के प्रथम तीन वर्ष के दौरान प्रकट होती है तथा किसी व्यक्ति की संवाद, रिश्ते को समझने तथा अन्य संबंधित मामलों में तथा अक्सर असामान्य अथवा रूढ़िवादी रिवाजों अथवा व्यवहार से जुड़ा होता है।

3. मानसिक व्यवहार,- "मानसिक बीमारी" से तात्पर्य है विचार, मनोदशा, अवधारणा, उन्मुखीकरण अथवा स्मृति जो कि स्थूल रूप से निर्यय लेती है, व्यवहार, वास्तविकता पहचानने की क्षमता अथवा जीवन की सामान्य मांगों को पूर्ण करने की क्षमता, किन्तु इसमें वह परिस्थितिक बाधा शामिल नहीं है जो किसी व्यक्ति के मानसिक विकास को अवरोधित अथवा अधूरा विकास करती है, तथा जिसे विशेष रूप से बौद्धिक उप समानता द्वारा वर्गीकृत किया जाता है।

4. निम्न के कारण उत्पन्न विकलांगता :-

(क) चिरकालिक तंत्रिका संबंधी स्थितियां, जैसे कि-

(i) 'बहुल ऊतक दूढन' से तात्पर्य है शोथ, माइलिन तंत्रिका कोशिका जो कि अक्षतंतु के चारों ओर स्थित है मस्तिष्क तथा मेरुदण्ड में की क्षति के कारण तंत्रिका तंत्र के रोग जिससे मस्तिष्क तथा मेरुदण्ड की एक दूसरे से संवाद करने की क्षमता पर विघटनकारी प्रभाव पड़ते हैं;

(ii) "पार्किनसेनिज्म रोग" से तात्पर्य है मांसपेशियों में कठोरता और धीमी, प्रभावशाली गतिशीलता, मध्यम वर्ग और बुजुर्ग लोगों से जुड़ी मस्तिष्क की बुनियादी गंडिका का अधःपतन का रोग तथा तंत्रिका संचरण डोपामीन का विघटन।

(ख) रक्त विकृतियां -

(i) "हीमोफीलिया" से तात्पर्य है एक अंतर्निहित रोग जिससे पुरुष प्रभावित होते हैं किन्तु महिला द्वारा यह रोग अपने पुरुष बच्चों को प्रेषित की जाती है। जिसे सामान्य रक्त जमाव क्षमता की कमी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जिससे नवजातों में भयंकर रक्त श्राव हो सकता है।

(ii) "थैलिसिमिया" से तात्पर्य हिमोग्लोबिन की मात्रा की अनुपस्थिति की वंशानुगत विकारों का एक समूह।

(iii) "सिक्कल सैल रोग" से तात्पर्य है रक्त संबंधी विकृति जो कि संबंधित ऊतक और अंग क्षति के कारण रक्तलापता, विदारक घटनाएं तथा विभिन्न जटिलताओं की स्थिति है। यह हीमोग्लोबीन में पुर्नजीवित लाल रक्त कोशिकाओं के उतक कोशिकाओं के विनाश की कोशिका कला को संदर्भित करता है ।

5. मूक बधिरता सहित बहुल विकलांगताएं (ऊपर निर्दिष्ट विकलांगों में से एक से अधिक) बधिरता, अंधता सहित जो ऐसी परिस्थिति से तात्पर्य है जिसमें एक व्यक्ति को श्रवण और दृष्टि क्षति का संयोजन हो सकता है जिसमें गंभीर संचार, विकास और शैक्षणिक समस्याएं हो सकती हैं ।

6. अन्य कोई वर्गीकरण जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई हों।

परिशिष्ट – "ख"

(देखें अनुसूची I, II तथा III एवं विनियम 2)

बी.ए.एम.एस./बी.एस.एम.एस./बी.यू.एम.एस. में दाखिले के संबंध में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अन्तर्गत "विशिष्ट विकलांगताओं" वाले छात्रों के दाखिले से संबंधित दिशानिर्देश

1. "विकलांगता का प्रमाणपत्र", भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड – (i) में संख्या सा.का.नि. 591(अ) दिनांक 15 जून, 2017 में प्रकाशित दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के अनुसार जारी किया जाएगा।
2. किसी व्यक्ति में "विशिष्ट विकलांगता" की सीमा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप खण्ड –(ii) में संख्या का.आ. 76(अ) दिनांक 04 जनवरी, 2018 में प्रकाशित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अंतर्गत शामिल किए गए "किसी व्यक्ति में विशिष्ट विकलांगता की सीमा आंकने के उद्देश्य के लिए दिशानिर्देश" के अनुसार आंकी जाएगी।
3. विशिष्ट विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से विकलांगता की न्यूनतम डिग्री 40% (विकलांगता तल चिन्ह) होनी चाहिए।
4. "शारीरिक रूप से विकलांग" ("ग.वि.) शब्द के बजाए 'विकलांग व्यक्ति' (वि.व्य.) शब्द का प्रयोग किया जाएगा।

5. तालिका

क्र. सं.	विकलांगता की श्रेणी	विकलांगताओं का प्रकार	विनिर्दिष्ट विकलांगता	विकलांगता की रेंज		
				(5)		
(1)	(2)	(3)	(4)	बी.ए.एम.एस./बी.एस.एम.एस./बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा के लिए पात्र नहीं	बी.ए.एम.एस./बी.एस.एम.एस./बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा के लिए पात्र	बी.ए.एम.एस./बी.एस.एम.एस./बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम के लिए पात्र नहीं
1.	शारीरिक विकलांगता	क. विनिर्दिष्ट विकलांगताओं सहित गतिक विकलांगता (क से च)	क. कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति* ख. प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात** ग. बौनापन घ. मांसपेशीय डिस्ट्रोफी ड. तेजाब के प्रहार से पीड़ित च. अन्य *** जैसे अंगविच्छेदन, पोलियोम्येलाइटिस आदि	40% से कम विकलांगता	40-80% विकलांगता	80% से अधिक विकलांगता
				* ऊंगलियों, हाथों में संवेदन की क्षति, अंगविच्छेद और आंखों की अंतर्ग्रस्तता पर ध्यान दिया जाना चाहिए तथा तदनुसूची अनुसूची I में देखा जाना चाहिए।		

			<p>**दृष्टि, श्रवण की संज्ञानात्मक कार्य की क्षति पर ध्यान दिया जाना चाहिए और तदनुसारी अनु"साएं देखी जानी चाहिए।</p> <p>*** बी.ए.एम.एस./बी.एस.एम.एस./बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम के लिए पात्र माने जाने के लिए दोनों हाथों का, अक्षुण्ण संवेदनओं, पर्याप्त शक्ति और गति के रेंज के साथ अक्षुण्ण होना आवश्यक है।</p>			
	ख. दृष्टि क्षति (*)	क. नेत्रहीनता ख. निम्न दृष्टि	40% से कम विकलांगता (अर्थात् श्रेणी '0(10%)', 'I (20%)' और 'II (30%)')	-	40% के बराबर या इससे अधिक विकलांगता (अर्थात् श्रेणी III और इससे ऊपर)	
	ग. श्रवण क्षति @	क. बहरा ख. कम सुनाई देना	40% से कम विकलांगता	-	40% के बराबर या इससे कम विकलांगता	
	घ. वाक् एवं भाषा विकलांगताएं §	आर्गनिक/तंत्रिय कारण	40% से कम विकलांगता	-	40% के बराबर या इससे कम विकलांगता	
		<p>§ यह प्रस्ताव दिया जाता है कि बी.ए.एम.एस./बी.एस.एम.एस./बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम में पढ़ने का पात्र होने के लिए दाखिले हेतु वाक् बुद्धिमत्ता प्रभावित (एस आई ए) स्कोर 3 से अधिक नहीं होगा। (जो कि 40% से कम होगी)। इस स्कोर से अधिक वाले व्यक्ति बी.ए.एम.एस./बी.एस.एम.एस./बी.यू.एम.एस.पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए पात्र नहीं होंगे।</p> <p>40% तक वाचाघात लब्धि वाले व्यक्ति बी.ए.एम.एस./बी.एस.एम.एस./बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम में पढ़ने के पात्र हो सकते हैं परंतु इसके अधिक वे न तो बी.ए.एम.एस./बी.एस.एम.एस./बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम में पढ़ने के पात्र होंगे और न ही उन्हें कोई आरक्षण प्राप्त होगा।</p>				
2.	बौद्धिक विकलांगता	क. विग्नित ज्ञानार्जन विकलांगताएं (बोधआत्मक विकलांगता, डिस्लेक्सिया डिस्कैलकुलिया डिस्प्राक्सिया और विकासात्मक एल्फासिया) #	# वर्तमान में एसपीएलडी की गंभीरता आंकने के लिए कोई मात्राकरण पैमाना नहीं है, इसलिए 40% का कट ऑफ, मनमाना है और इसके लिए अधिक साक्ष्य की आवश्यकता है।	40% से कम विकलांगता	40% के बराबर या इससे अधिक विकलांगता—परंतु चयन, रिमेडिएशन सहायता प्राप्त प्रौद्योगिकी/उपकरणों/विशेषज्ञ पैनल द्वारा किए गए अवसंरचनात्मक परिवर्तनों की सहायता से मूल्यांकन की गई ज्ञानार्जन सक्षमता पर आधारित होगा।	80% से अधिक या गंभीर स्वरूप या पर्याप्त संज्ञानात्मक/बौद्धिक विकलांगता
		ख. आत्म-विमोह स्पैकट्रम विकृति	विकलांगता का अभाव या मामूली विकलांगता असुपरजर सिंड्रोम (आईएसएए) के अनुसार 40% - 60% विकलांगता,	मानसिक बीमारी की मौजूदगी या सीमा स्थापित करने की उद्देश्य परक पद्धति के अभाव के कारण संस्तुत नहीं किया गया। तथापि, आरक्षण/कोटे के लाभ पर, विकलांगता आंकने की बेहतर पद्धतियां	60% के बराबर या इससे अधिक विकलांगता या संज्ञानात्मक/बौद्धिक विकलांगता की मौजूदगी और/या यदि व्यक्ति को	

				जहां व्यक्ति को किसी विधिपत्र पैनल द्वारा बी.ए.एम.एस./बी.एस.एम.एस./बी.यू.एम.एस. के लिए उपयुक्त माना जाता है।	विकसित कर लिए जाने के पश्चात् विचार किया जा सकता है।	विधिपत्र पैनल द्वारा बी.ए.एम.एस./बी.एस.एम.एस./बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है।
3.	मानसिक व्यवहार		मानसिक रोग	विकलांगता का अभाव या मामूली विकलांगता: 40% से कम (आईडीईएएस के अंतर्गत)	मानसिक बीमारी की मौजूदगी या सीमा स्थापित करने की उद्देश्य परक पद्धति के अभाव के कारण संस्तुत नहीं किया गया। तथापि, आरक्षण/कोटे के लाभ पर, विकलांगता आंकने की बेहतर पद्धतियां विकसित कर लिए जाने के पश्चात् विचार किया जा सकता है।	40% के बराबर या इससे अधिक विकलांगता या यदि व्यक्ति को अपनी इयूटियां करने के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। "मेडिसिन में प्रैक्टिस करने के लिए फिटनेस" की परिभाषा के लिए मानक तैयार किए जाएं जिनका जैसे कि भारत के अलावा अन्य देशों के अनेक संस्थानों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं।
4.	आगे उल्लेखित के कारण विकलांगता	क. चिरकालिक तंत्रिका संबंधी स्थितियां	i. बहुल ऊतक दृढ़न	40% से कम विकलांगता	40% - 80% विकलांगता	80% से अधिक विकलांगता
			ii. पार्किंसेन्जिम			
		ख. रक्त विकृतियां	i. हीमोफीलिया	40% से कम विकलांगता	40% - 80% विकलांगता	80% से अधिक विकलांगता
			ii. थैलसीमिया			
			iii. सिक्कल सैल रोग			
5.	मूक बधिरता सहित बहुल विकलांगताएं		उपर्युक्त में से एक से अधिक विनिर्दिष्ट विकलांगताएं	उपर्युक्त में किसी की मौजूदगी के संबंध में अलग अलग मामलों की अनुसंधानों में निर्णय लेते समय उपर्युक्त सभी नामतः बहुल विकलांगता के एक घटक के रूप में दृष्टि, श्रवण, वाक् और भाषा विकलांगता, बौद्धिक विकलांगता और मानसिक विकलांगता पर विचार किया जाना चाहिए जब किसी व्यक्ति में एक से अधिक असमर्थकारी स्थिति मौजूद है, उत्पन्न होने वाली विकलांगता की संगणना करने के लिए, भारत सरकार द्वारा जारी की गई संबंधित राजपत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचित संयोजनकारी फार्मूले की अनुसंधान की जाती है		

$$\frac{k+x}{90-k}$$

90

(जहां क = विकलांगता के % का उच्च मूल्य और ख = विकलांगता के % का निम्न मूल्य जो भिन्न-भिन्न विकलांगताओं के लिए परिकलित किया गया हो। इस फार्मूले का इस्तेमाल बहुल विकलांगताओं वाले मामलों में किया जाए और व्यक्ति विधिपत्र के मामले में मौजूद विधिपत्र विकलांगताओं के अनुसार दाखिले और/या आरक्षण के संबंध में अनुसंधान की जाए।

टिप्पणी : शारीरिक विकलांग श्रेणी के अन्तर्गत चयन के लिए, अभ्यर्थी को उनकी काउंसलिंग की तिथि से पूर्व भारत सरकार के संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किसी एक विकलांगता मूल्यांकन बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

के.नटराजन, निबन्धक-सह-सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./98/19]

टिप्पणी : प्रधान नियमावली भारत का राजपत्र, भाग-III, धारा-4, में संख्या 8-3/86-रेग., दिनांक 31 मई, 1986 के द्वारा, प्रकाशित की गई थी तथा इसे अंतिम बार अधिसूचना फ. संख्या 24-14/2018 (यू.जी. रेगुलेशन), दिनांक 7 दिसम्बर, 2018 के द्वारा संशोधित किया गया था।

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2019

F. No. 24-14/2018 (UG Regulation).—In exercise of the powers conferred by clauses (i), (j) and (k) of sub-section (1) of section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Council of Indian Medicine, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Medicine Central Council (Minimum standards of Education in Indian Medicine) Regulations, 1986, namely:—

1. Short title, commencement and application.—(1) These regulations may be called the Indian Medicine Central Council (Minimum standards of Education in Indian Medicine) Amendment Regulations, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) These regulations shall apply to students who shall be admitted for Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery (B.A.M.S.), Bachelor of Siddha Medicine and Surgery (B.S.M.S.) and Bachelor of Unani Medicine and Surgery (B.U.M.S.) from the commencement of the academic session (2019-2020).

2. In the Indian Medicine Central Council (Minimum standards of Education in Indian Medicine) Regulations, 1986 (hereinafter referred to as the said regulations), in Schedule-I, in regulations 2, in clause (d),-

(i) in sub-clause (iv), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that-

- (A) The all India quota for admission in the Government and Private Deemed Universities shall be hundred per cent.;
- (B) those Universities and Institutes which are already having more than fifteen per cent. All India quota seats shall continue to maintain that quota.
- (C) five per cent. of the annual sanctioned intake capacity in Government or Government-aided Institutions shall be filled up by candidates with benchmark disabilities in accordance with the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), based on the merit list of ‘National Eligibility Entrance Test’.

Explanation.-For the purposes of this clause, the “Specified Disability” contained in the Schedule to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016(49 of 2016) is specified in Appendix ‘A’ annexed to these regulations and the eligibility of candidates to pursue a course in Indian systems of medicine with specified disability shall be in accordance with the guidelines specified in Appendix ‘B’ to these regulations, and if the seats reserved for the persons with disabilities in a particular category remain unfilled on account of unavailability of candidates, the seats shall be included in the annual sanctioned seats for the respective category.”;

(ii) for sub-clause (v), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

“(v) (A) The designated authority for counseling of States and Union territories quota for admissions to under-graduate course in all Ayurveda educational institutions in the States and Union territories including institutions established by the State Government, University, Trust, Society, Minority Institution, Corporation or Company shall be the respective State or Union territory in accordance with the relevant rules and regulations of the concerned State or Union territory Government, as the case may be.

(B) The counseling for all admission to B.A.M.S. Course for hundred per cent. Seats of all Deemed Universities both Government and private shall be conducted by the authority designated by the Central Government.”.

3. In the said regulations, in Schedule-II, in regulation 2, in clause (d),-

(i) in sub-clause (iv), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that-

- (A) the all India quota for admission in the Government and Private Deemed Universities shall be hundred per cent.;
- (B) those Universities and Institutes which are already having more than fifteen per cent. All India quota seats shall continue to maintain that quota.
- (C) five per cent. of the annual sanctioned intake capacity in Government or Government-aided Institutions shall be filled up by candidates with benchmark disabilities in accordance with the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), based on the merit list of ‘National Eligibility Entrance Test’.

Explanation.-For the purposes of this clause, the “Specified Disability” contained in the Schedule to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) is specified in Appendix ‘A’ annexed to these regulations and the

eligibility of candidates to pursue a course in Indian systems of medicine with specified disability shall be in accordance with the guidelines specified in Appendix 'B' to these regulations, and if the seats reserved for the persons with disabilities in a particular category remain unfilled on account of unavailability of candidates, the seats shall be included in the annual sanctioned seats for the respective category.”;

(ii) for sub-clause (v), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

“(v) (A) The designated authority for counseling of States and Union territories quota for admissions to under-graduate course in all Siddha educational institutions in the States and Union territories including institutions established by the State Government, University, Trust, Society, Minority Institution, Corporation or Company shall be the respective State or Union territory in accordance with the relevant rules and regulations of the concerned State or Union territory Government, as the case may be.

(B) The counseling for all admission to B.S.M.S. Course for hundred per cent. Seats of all Deemed Universities both Government and private shall be conducted by the authority designated by the Central Government.”.

4. In the said regulations, in Schedule-III, in regulation 2, in clause (A), in sub-clause (d),-

(i) in item (iv), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that-

(I) the all India quota for admission in the Government and Private Deemed Universities shall be hundred per cent.;

(II) those Universities and Institutes which are already having more than fifteen per cent. All India quota seats shall continue to maintain that quota.

(III) five per cent. of the annual sanctioned intake capacity in Government or Government-aided Institutions shall be filled up by candidates with benchmark disabilities in accordance with the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), based on the merit list of 'National Eligibility Entrance Test'.

Explanation.-For the purposes of this clause, the “Specified Disability” contained in the Schedule to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016(49 of 2016) is specified in Appendix 'A' annexed to these regulations and the eligibility of candidates to pursue a course in Indian systems of medicine with specified disability shall be in accordance with the guidelines specified in Appendix 'B' to these regulations, and if the seats reserved for the persons with disabilities in a particular category remain unfilled on account of unavailability of candidates, the seats shall be included in the annual sanctioned seats for the respective category.”;

(ii) for item (v), the following item shall be substituted, namely:-

“(v) (I)The designated authority for counseling of States and Union territories quota for admissions to under-graduate course in all Unani educational institutions in the States and Union territories including institutions established by the State Government, University, Trust, Society, Minority Institution, Corporation or Company shall be the respective State or Union Territory in accordance with the relevant rules and regulations of the concerned State or Union territory Government, as the case may be.

(II) The counseling for all admission to B.U.M.S. Course for hundred per cent. seats of all Deemed Universities both Government and private shall be conducted by the authority designated by the Central Government.”.

Appendix “A”

[See Schedules I, II and III and regulation 2 thereof]

SCHEDULE relating to “SPECIFIED DISABILITY” referred to in clause (zc) of section 2 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016(49 of 2016), provides as under:-

1. Physical disability.—

A. Loco motor disability (a person's inability to execute distinctive activities associated with movement of self and objects resulting from affliction of musculoskeletal or nervous system or both), including—

(a) "leprosy cured person" means a person who has been cured of leprosy but is suffering from—

(i) loss of sensation in hands or feet as well as loss of sensation and paresis in the eye and eye-lid but with no manifest deformity;

(ii) manifest deformity and paresis but having sufficient mobility in their hands and feet to enable them to engage in normal economic activity;

(iii) extreme physical deformity as well as advanced age which prevents him/her from undertaking any gainful occupation, and the expression "leprosy cured" shall construed accordingly;

(b) "cerebral palsy" means a Group of non-progressive neurological condition affecting body movements and muscle coordination, caused by damage to one or more specific areas of the brain, usually occurring before, during or shortly after birth;

(c) "dwarfism" means a medical or genetic condition resulting in an adult height of 4feet 10 inches (147 centimeters) or less;

(d) "muscular dystrophy" means a group of hereditary genetic muscle disease that weakens the muscles that move the human body and persons with multiple dystrophy have incorrect and missing information in their genes, which prevents them from making the proteins they need for healthy muscles. It is characterized by progressive skeletal muscle weakness, defects in muscle proteins, and the death of muscle cells and tissue; (e) "acid attack victims" means a person disfigured due to violent assaults by throwing of acid or similar corrosive substance.

B. Visual impairment—

(a) "blindness" means a condition where a person has any of the following conditions, after best correction—

(i) total absence of sight; or

(ii) visual acuity less than 3/60 or less than 10/200 (Snellen) in the better eye with best possible correction; or

(iii) limitation of the field of vision subtending an angle of less than 10 degree.

(b) "low-vision" means a condition where a person has any of the following conditions, namely:—

(i) visual acuity not exceeding 6/18 or less than 20/60 upto 3/60 or upto 10/200(Snellen) in the better eye with best possible corrections; or

(ii) limitation of the field of vision subtending an angle of less than 40 degree up to 10 degree.

C. Hearing impairment -

(a) "deaf" means persons having 70 DB hearing loss in speech frequencies in both ears;

(b) "hard of hearing" means person having 60 DB to 70 DB hearing loss in speech frequencies in both ears;

D. "speech and language disability" means a permanent disability arising out of conditions such as laryngectomy or aphasia affecting one or more components of speech and language due to organic or neurological causes.

2. Intellectual disability, a condition characterized by significant limitation both in intellectual functioning (reasoning, learning, problem solving) and in adaptive behavior which covers a range of every day, social and practical skills, including—

(a) "specific learning disabilities" means a heterogeneous group of conditions wherein there is a deficit in processing language, spoken or written, that may manifest itself as a difficulty to comprehend, speak, read, write, spell, or to do mathematic calculations and includes such conditions as perceptual disabilities, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, dyspraxia and developmental aphasia;

(b) "autism spectrum disorder" means a neuro-developmental condition typically appearing in the first three years of life that significantly affects a person's ability to communicate, understand relationships and relate to others, and is frequently associated with unusual or stereotypical rituals or behaviours.

3. Mental behaviour,— "mental illness" means a substantial disorder of thinking, mood, perception, orientation or memory that grossly impairs judgment, behaviour, capacity to recognize reality or ability to meet the ordinary demands of life, but does not include retardation which is a condition of arrested or incomplete development of mind of a person, specially characterized by sub normality of intelligence.

4. Disability caused due to—

(a) chronic neurological conditions, such as—

(i) "multiple sclerosis" means an inflammatory, nervous system disease in which the myelin sheaths around the axons of nerve cells of the brain and spinal cord are damaged, leading to demyelination and affecting the ability of nerve cells in the brain and spinal cord to communicate with each other;

(ii) "parkinson's disease" means a progressive disease of the nervous system marked by tremor, muscular rigidity, and slow, imprecise movement, chiefly affecting middle-aged and elderly people associated with degeneration of the basal ganglia of the brain and a deficiency of the neurotransmitter dopamine.

(b) Blood disorder—

(i) "haemophilia" means an inheritable disease, usually affecting only male but transmitted by women to their male children, characterized by loss or impairment of the normal clotting ability of blood so that a minor would may result in fatal bleeding;

(ii) "thalassemia" means a group of inherited disorders characterized by reduced or absent amounts of haemoglobin.

(iii) "sickle cell disease" means a hemolytic disorder characterized by chronic anemia, painful events, and various complications due to associated tissue and organ damage;"hemolytic" refers to the destruction of the cell membrane of red blood cells resulting in the release of hemoglobin.

5. Multiple Disabilities (more than one of the above specified disabilities) including deaf blindness which means a condition in which a person may have combination of hearing and visual impairments causing severe communication, developmental, and educational problems.

6. Any other category as may be notified by the Central Government.

Appendix "B"

[See Schedules I, II and III and regulation 2 thereof]

Guidelines regarding admission of students, with "Specified Disabilities" under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), in B.A.M.S./B.S.M.S./ B.U.M.S.

1. The "Certificate of Disability" shall be issued in accordance with the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 591(E), dated the 15th June, 2017.
2. The extent of "specified disability" in a person shall be assessed in accordance with the "guidelines for the purpose of assessing the extent of specified disability in a person included under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016)", published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 76 (E), dated the 4th January, 2018.
3. The minimum degree of disability should be 40% (Benchmark Disability) in order to be eligible for availing reservation for persons with specified disability.
4. The term 'Persons with Disabilities' (PwD) is to be used instead of the term 'Physically Handicapped' (PH)

5. TABLE

Sl. No.	Disability category	Type of Disabilities	Specified Disability	Disability Range		
				(5)		
(1)	(2)	(3)	(4)	Eligible for B.A.M.S./ B.S.M.S. / B.U.M.S. Course, Not Eligible for PwD Quota	Eligible for B.A.M.S./ B.S.M.S./B.U.M.S. Course, Eligible for PwD Quota	Not Eligible for B.A.M.S./ B.S.M.S./ B.U.M.S. Course
1.	Physical Disability	A. Locomotor Disability, including Specified Disabilities (a to f).	a. Leprosy cured person* b. Cerebral Palsy** c. Dwarfism d. Muscular Dystrophy e. Acid attack victims f. Others*** such as Amputation, Poliomyelitis, etc.	Less than 40% disability	40-80% disability Persons with more than 80% disability may also be allowed on case to case basis and their functional competency will be determined with the aid of assistive devices, if it is being used, to see if it is brought below 80% and whether they possess sufficient motor ability as required to pursue and complete the course satisfactorily.	More than 80%

			<p>* Attention should be paid to loss of sensations in fingers and hands, amputation, as well as involvement of eyes and corresponding recommendations be looked at.</p> <p>** Attention should be paid to impairment of vision, hearing, cognitive function etc. and corresponding recommendations be looked at.</p> <p>*** Both hands intact, with intact sensations, sufficient strength and range of motion are essential to be considered eligible for B.A.M.S./B.S.M.S./B.U.M.S. course</p>		
	B. Visual Impairment (*)	<p>a. Blindness</p> <p>b. Low vision</p>	<p>Less than 40% disability (i.e. Category '0 (10%)', 'I (20%)' & 'II (30%)')</p>	-	Equal to or More than 40% Disability (i.e. Category III and above)
	C. Hearing impairment [@]	<p>a. Deaf</p> <p>b. Hard of hearing</p>	Less than 40% Disability	-	Equal to or more than 40% Disability
		<p>(*) Persons with Visual impairment / visual disability of more than 40% may be made eligible to pursue Graduate B.A.M.S./B.S.M.S./B.U.M.S. Education and may be given reservation, subject to the condition that the visual disability is brought to a level of less than the benchmark of 40% with advanced low vision aids such as telescopes / magnifier etc.</p> <p>[@] Persons with hearing disability of more than 40% may be made eligible to pursue Graduate B.A.M.S./B.S.M.S./B.U.M.S. Education and may be given reservation, subject to the condition that the hearing disability is brought to a level of less than the benchmark of 40% with the aid of assistive devices. In addition to this, the individual should have a speech discrimination score of more than 60%.</p>			
	D. Speech & language disability [§]	Organic/ neurological causes	Less than 40% Disability	-	Equal to or more than 40% Disability
	<p>[§] It is proposed that for admission to B.A.M.S./B.S.M.S./B.U.M.S. course the Speech Intelligibility Affected (SIA) score shall not exceed 3 (Which will correspond to less than 40%) to be eligible to pursue the B.A.M.S./B.S.M.S./B.U.M.S. course. The individuals beyond this score will not be eligible for admission to the B.A.M.S./B.S.M.S./B.U.M.S. course.</p> <p>Persons with an Aphasia Quotient (AQ) upto 40% may be eligible to pursue B.A.M.S./B.S.M.S./B.U.M.S. course but beyond that they will neither be eligible to pursue the B.A.M.S./B.S.M.S./B.U.M.S. course nor will they have any reservation.</p>				
2.	Intellectual disability	a. Specific learning disabilities (Perceptual disabilities, Dyslexia, Dyscalculia, Dyspraxia & Developmental aphasia)#	# currently there is no Quantification scale available to assess the severity of SpLD, therefore the cut-off of 40% is arbitrary and more evidence is needed.		

				Less than 40% Disability	Equal to or more than 40% disability But selection will be based on the learning competency evaluated with the help of the remediation/ assisted technology/ aids/ infrastructural changes by the Expert Panel	More than 80% or severe nature or significant cognitive/ intellectual disability
			b. Autism spectrum disorders	Absence or Mild Disability, Asperger syndrome (disability of 40- 60% as per ISAA) where the individual is deemed fit for B.A.M.S./ B.S.M.S./B.U.M.S. course by an expert panel	Currently not recommended due to lack of objective method to establish presence and extent of mental illness. However, the benefit of reservation/quota may be considered in future after developing better methods of disability assessment.	Equal to or more than 60% disability or presence of cognitive/intellectual disability and/or if the person is deemed unfit for pursuing B.A.M.S./B.S.M.S./ B.U.M.S. course by an expert panel
3.	Mental behaviour		Mental illness	Absence or mild Disability: less than 40% (under IDEAS)	Currently not recommended due to lack of objective method to establish presence and extent of mental illness. However, the benefit of reservation/quota may be considered in future after developing better methods of disability assessment.	Equal to or more than 40% disability or if the person is deemed unfit to perform his/her duties. Standards may be drafted for the definition of "fitness to practice medicine", as are used by several institutions of countries other than India.
4.	Disability caused due to	a. Chronic Neurological Conditions	i. Multiple Sclerosis	Less than 40% Disability	40-80% disability	More than 80%
			ii. Parkinsonism			
		b. Blood Disorders	i. Haemophilia	Less than 40% Disability	40-80% disability	More than 80%
			ii. Thalassemia			
iii. Sickle cell disease						
5.	Multiple disabilities including deaf blindness		More than one of the above specified disabilities	Must consider all above while deciding in individual cases recommendations with respect to presence any of the above, namely, Visual, Hearing, Speech & Language disability, Intellectual Disability, and Mental Illness as a component of Multiple Disability. Combining Formula as notified by the related Gazette Notification issued by the Govt. of India $\frac{a + b (90-a)}{90}$ (where a= higher value of disability % and b=lower value of disability % as calculated for different disabilities) is recommended for computing the disability arising when more than one disabling condition is present in a given individual. This formula may be used in cases with multiple disabilities, and recommendations regarding admission and/or reservation made as per the specific disabilities present in a given individual		

Note : For selection under PwD category, candidates will be required to produce Disability Certificate before their scheduled date of counseling from one of the disability assessment boards as designated by concerned Authority of Government of India.

K. NATARAJAN, Registrar-Cum-Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./98/19]

Note : The Principal regulations were published in the Gazette of India, Part-III, Section-4, vide number 8-3/86-Regl., dated the May 31, 1986 and were last amended vide notification F. No. 24-14/2018 (UG Regulation), dated the 7th December, 2018.